नवीन योजनाएं

वानस्पतिक ईंधन विकास कार्यक्रम

यह राज्यपोषित योजना है जिसका क्रियान्वयन 2005–06 से प्रथम चरण में सात राज्यों (कांकेर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, सरगुजा, कोरिया, महासमुंद, राजनांदगांव) में प्रारंभ किया गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में रतनजोत की खेती से बायोफ्यूल के उत्पादन को प्रोत्साहन देते हुये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कृषकों की आर्थिक विकास में सहायता देना है। योजनान्तर्गत मुख्यतः निम्नलिखित घटकों पर आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान है :–

क्र.	घटक का नाम	दी जाने वाली आर्थिक सहायता
1.	नर्सरी तैयार हेतु –	रू. 3 प्रति पौध की दर से
2.	पौध रोपण –	रू. 7 प्रति पौध की दर से
3.	आयल एक्सपेलर की स्थापना –	रू. 80000 प्रति आयल एक्सपेलर की दर से।

एक्सटेंशन रिफार्म योजना (आत्मा)

केन्द्र प्रवर्तित योजना ''सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफार्म'' का क्रियान्वयन प्रथम चरण में पांच जिलों कबीरधाम, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा एवं जगदलपुर के किया जा रहा है। इस योजना के तहत निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखकर कृषि विस्तारण को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है :–

I. **मल्टी डीसीप्लीनरी एप्रोच** :– अर्थात सभी विभाग एक साथ आत्मा के तहत कृषकों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु कृषि एवं कृषि से संबंधित जुड़े व्यवसायों के माध्यम से कार्य करेंगे।

II. **ग्रुप एप्रोच** :– योजनान्तर्गत कृषकों के समूह का गठन कर किसी विशेष उद्यम के विकास से कृषकों की आर्थिक उन्नति किया जाना है।

III. **महिलाओं की भागीदारी** :– कम से कम 30 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी योजनान्तर्गत सुनिश्चित किया जाना है।

IV. गैर सरकारी संस्थाओं जैसे एन.जी.ओ., पैरा एक्सटेंशन वर्कर्स, निजी संस्थाओं आदि को भी कृषि विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाना है।

V. योजनान्तर्गत कृषक समूह (FIG) द्वारा प्राप्त किये गये उत्पादन के सुनिश्चित विपणन का भी प्रावधान रखा गया है इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप नीति का अनुसरण किया जायेगा।